FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी आहोर मुकाम आहोर

तहसीलदार आहोर बनाम हिम्मत ओझा पुत्र वेलाराम ओझा वगैरा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act 1956 नम्बर 84/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सम्मन व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल जारी हुए
26-11-19	तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 26-11-19 के जरिये मौजा आहोर खसरा 1187 के वर्तमान खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.89 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरुस्ती हेतु पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 29-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	
29-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। तामील अदम तामील नोटिस प्राप्त जो पत्रावली शामिल हो। अदम तामील नोटिस पुनः पेश हो। पत्रावली आइन्दा दिनांक 3-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3-12-19	पत्रावली आज पेश हुई। जवाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 12-12-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-12-19	पत्रावली आज पेश हुई। जवाब हेतु समय दिया गया लेकिन जवाब पेश नहीं होने से जवाब बन्द किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रशांत शर्मा– RAS

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

तहसीलदार आहोर हितेश ओझा पुत्र कैलाशचन्द ओझा वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 L.R.R. Act 195

प्रकरण सं. 84 /2019 निर्णय दिनांक 12-12-19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री तखतसिंह पटवारी हल्का आहोर द्वारा जरिये तहसीलदार आहोर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.89 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वर्तमान में जमाबन्दी में सांवलाराम पुत्र शेराराम कौम चौधरी के नाम दर्ज है तथा मिसलबन्दोबस्त में द्वितीय भू–प्रबन्ध से चल रहा है। लेकिन इन खसरा नम्बर की तरमीम नक्शा लटठा ,मोमी शीट व मूल शीट में की हुई नही है। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नक्शे में नही होने व जमाबन्दी में खसरा दर्ज होने से जमाबन्दी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में तरमीम दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करने के संबंधित पक्षकार उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया लेकिन समय देने के उपरान्त भी अपना जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। भू–अ.निरीक्षक आहोर व पटवारी हल्का आहोर की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.89 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वर्तमान में जमाबन्दी में सांवलाराम पुत्र शेराराम कौम चौधरी के नाम दर्ज है तथा मिसलबन्दोबस्त में द्वितीय भू–प्रबन्ध से चल रहा है। लेकिन इन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर जिला-जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर की तरमीम की नक्शा लटठा ,मोमी शीट व मूल शीट में की हुई नही है। चकतराशी शीट में तरमीम को खोजने पर उक्त तरमीम चकतराशी शीट में खसरा नम्बर 1186 के उतरी भाग में की हुई है। खसरा नम्बर 1187 के खातेदार का श्रीमानजी के न्यायालय में वाद सं. 118/2018 विचाराधीन है जिसमें स्थगन जारी है। खसरा नम्बर 1186 में आपसी सहमति से खातेदारान द्वारा बंटवाडा किया हुआ है जबकि खसरा नम्बर 1186 के उतरी भाग पर खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.89 हैक्टर की तरमीम चकतराशी शीट अनुसार जानी है। उक्त तरमीम प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ के अनुसार किया जाना अनुशंषा सहित प्रस्तावित है तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। मौजा आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.89 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम वर्तमान में जमाबन्दी में सांवलाराम पुत्र शेराराम कौम चौधरी के नाम दर्ज है तथा मिसलबन्दोबस्त में द्वितीय भू–प्रबन्ध से चल रहा है। लेकिन इन खसरा नम्बर की तरमीम की नक्शा लटठा ,मोमी शीट व मूल शीट में की हुई नही है। चकतराशी शीट में तरमीम को खोजने पर उक्त तरमीम चकतराशी शीट में खसरा नम्बर 1186 के उतरी भाग में की हुई है। खसरा नम्बर 1186 में आपसी सहमति से खातेदारान द्वारा बंटवाडा किया हुआ है जबकि खसरा नम्बर 1186 के उतरी भाग पर खसरा संख्या 1187 रकबा 0.89 हैक्टर की तरमीम चकतराशी शीट अनुसार की जानी है। उक्त तरमीम प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ के अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा आहोर के खसरा नम्बर 1187 रकबा 0.89 हैक्टर की तरमीम नक्शा परिशिष्ट–अ के अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर जिला-जालोर (राज.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)
आहोर

Scanned by CamScanner